

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

०३

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के बान से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के बान से।
सम्बद्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार कुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2013/ 275

दिनांक: 10/05/13

५४२७५१७७७३

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध श्री वैष्णव कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट मुरेना () को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.एस.-सी तृतीय वर्ष- (आ.पा., गणित, भौतिकी, रसायन), (अति.विषय- प्राणिकी, वनस्पति, एवं कम्प्यूटर साइंस) पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्हे प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

1. प्रो. के.एस. गुरु, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंधन अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा. (संयोजक) (9425337353)
2. प्रो. डी.डी. अग्रवाल, आचार्य, रसायन अ.शा., जी.वि.वि., ग्वा.
3. प्रो. डी.एन. गोस्वामी, अधिष्ठाता, महावि.वि.परिषद्, जी.वि.वि., ग्वा.

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के प्रावधानों के अनुलेप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ़, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आईडिजेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति नव प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ़ की वियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसारे अंकित करें।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26 सितम्बर 2012 के पद क्रमांक 60 (अ-अ-2) पर लिये गये निर्णयानुसार निरीक्षण समिति द्वाया 30 दिन में महाविद्यालय का निरीक्षण कर 15 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावे। जिससे कि सम्पूर्ण कार्यवाही (महाविद्यालय निरीक्षण की) 45 दिवस में पूर्ण हो सकेंगी एवं महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वाया दी जावे वाली अस्थायी सम्बद्धता में विलम्ब नहीं होगा एवं यथा समय सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही पूर्ण हो सकेंगी तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

गठन के 45 दिवस में Report प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है। नियमानुसार अर्थदण्ड जमा कराकर नवीन समिति गठित की जाएगी। जिसे 15 दिवस में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

*निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शासा में कार्यकृत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्रशावली लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को डी.ए. / डी.ए. / मानदेय महाविद्यालय द्वाया देय होगा।

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)